

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर  
वित्त(नियम) विभाग, मुख्यालय


क्रमांक:एफ4(13)/वित्त/नियम/09/2025/1275

दिनांक : 11/03/2025

कार्यालय आदेश

निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 17/2025 दिनांक 05.03.2025 के अनुसरण में निगम अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से सम्बन्धित पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या एफ-4(13)वित्त/नियम/09/2015/9792 दिनांक 26.10.2015, 620 दिनांक 03.02.2017, 3873 दिनांक 07.09.2022, 711 दिनांक 16.02.2023 एवं एफ-4(13)वित्त/नियम/09/2024/4852 दिनांक 21.11.2024 को अधिलंघित करते हुए निगम अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों (Schedule of Financial Powers) परिशिष्ट-1 (पृष्ठ 1 से 15) के अनुसार प्रसारित की जाती हैं।

संलग्न:- परिशिष्ट-1 (15 पृष्ठ)


  
(पुरुषोत्तम शर्मा)  
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक:एफ4(13)/वित्त/नियम/09/2025/1275

दिनांक : 11/03/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
6. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
8. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, .....।
10. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

  
(मनीष शुक्ला)  
वित्तीय सलाहकार

I.T./330  
17/03/25

**राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न  
अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय शक्तियां**

अधिकारी	प्रदत्त वित्तीय शक्तियां
---------	--------------------------

**1. निगम वाहनों की खरीद**

**(i) चैसिस/बसों की खरीद**

अध्यक्ष	25 करोड़ रुपये से अधिक (निगम मण्डल द्वारा अनुमोदित बस/चैसिस क्रय योजना के अनुसार)
प्रबन्ध निदेशक	25 करोड़ रुपये तक (निगम मण्डल द्वारा अनुमोदित बस/चैसिस क्रय योजना के अनुसार)

**(ii) स्टाफ कार, टैक्सी, ट्रक, जीप एवं अन्य वाहनों का क्रय**

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार

**(iii) बस बॉडी निर्माण अनुबन्ध**

अध्यक्ष	25 करोड़ रुपये से अधिक
प्रबन्ध निदेशक	25 करोड़ रुपये तक

**2. क्रय/ मरम्मत हेतु व्यय स्वीकृत करने का अधिकार:-**

**(i) प्लांट तथा मशीनरी, कार्यालय एवं अन्य उपकरण, फर्नीचर तथा फिक्चर एवं अन्य पूंजीगत वस्तुओं का क्रय :-**

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	40,000रु. प्रत्येक मामले में 100,000रु. वार्षिक, टूल्स एवं प्लांट्स हेतु
महा प्रबन्धक	20,000रु. प्रत्येक मामले में, 80,000रु. वार्षिक, अधिकार क्षेत्र में आने वाले आगार हेतु टूल्स एवं प्लांट्स के लिए
मुख्य उत्पादन प्रबन्धक	20,000रु. प्रत्येक मामले में 80,000रु. वार्षिक टूल्स एवं प्लांट्स, फर्नीचर कार्यालय उपकरण हेतु
मुख्य प्रबन्धक	20,000रु. प्रत्येक मामले में 80,000रु. वार्षिक टूल्स एवं प्लांट्स, फर्नीचर कार्यालय उपकरण हेतु

- (ii) निगम में सुविधा/संसाधन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सभी प्रकार के वाहनों की रिकण्डीशनिंग तथा बड़ी एसेम्बली एवं वाहनों (मिडी वाहनों सहित) की बाहरी एजेन्सियों से पूर्ण मरम्मत करवाना:-

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	100,000रु. प्रत्येक मामले में,
महा प्रबन्धक	75,000 रु. प्रत्येक मामले में 150,000 रु. वार्षिक
मुख्य उत्पादन प्रबन्धक	50,000 रु. प्रत्येक मामले में,

- (iii) कार/जीप/ अन्य हल्के वाहनों के मामलों में अधिकृत प्रतिनिधि संस्थान से:-

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष (प्रशासन) 25,000 रु. प्रत्येक मामले में
महा प्रबन्धक	—
मुख्य उत्पादन प्रबन्धक	20,000रु. तक प्रत्येक मामले में 60,000रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	15,000रु. तक प्रत्येक मामले में 80,000रु. वार्षिक

- (iv) ब्रेक डाउन की स्थिति में :-

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	15,000रु. प्रत्येक मामले में
मुख्य उत्पादन प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबन्धक	15,000रु. प्रबन्धक (स) द्वारा सत्यापित किये जाने की स्थिति में प्रत्येक मामले में, 50,000रु. वार्षिक

- (v) निगम के डीजल पम्प लगाने तथा पम्पों के किराये खर्च की स्वीकृति

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार

(vi) केन्द्रीय भण्डार से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यात्री वाहनों के कलपुर्जो एवं एसेसरीज पर व्यय

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	2 लाख रु. प्रत्येक मामले में
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	—
मुख्य उत्पादन प्रबन्धक	मुख्यालय द्वारा निर्धारित सीमा तक
मुख्य प्रबन्धक	मुख्यालय द्वारा निर्धारित सीमा तक

(vii) बजट प्रावधान के अनुरूप मशीनों, फर्नीचर, सामग्री, कार्यालय उपकरणों आदि के रख-रखाव पर खर्चा

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	50,000 रु. वार्षिक
महा प्रबन्धक	—
मुख्य उत्पा.प्रबन्धक	20,000 रु. प्रत्येक मामले में, 50,000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	10,000 रु. प्रत्येक मामले में एवं 30,000 रु. वार्षिक

(viii) वाहन तथा मशीनरी के आकस्मिक रख-रखाव पर खर्च

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष (प्रिंटिंग प्रेस) 50,000 रु. वार्षिक
महा प्रबन्धक	20,000 रु. तक लेखा विभाग की सलाह पर
मुख्य उत्पा.प्रबन्धक	20,000 रु. प्रत्येक मामले में एवं 50,000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	10,000 रु. प्रत्येक मामले में, 30,000 रु. वार्षिक

(ix) निगम वाहन के दुर्घटना या प्राकृतिक विपदा से निकालने पर हुए व्यय की स्वीकृति

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	35,000 रु. प्रत्येक मामले में
मुख्य उत्पा.प्रबन्धक	20,000 रु. प्रत्येक मामले में
मुख्य प्रबन्धक	15,000 रु. प्रत्येक मामले में

3. विशेष पथ कर तथा अन्य करों का भुगतान

(i) निगम वाहनों का विशेष पथ कर/निगम एवं अनुबन्धित बसों का विशेष पथ कर

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
विभागाध्यक्ष (वित्तीय सलाहकार)	सम्पूर्ण अधिकार

(ii) आकस्मिक अनुबन्ध संचालन जैसे शादी, पार्टी, समूह इत्यादि के लिए विशेष पथ कर

विभागाध्यक्ष (यातायात)	सम्पूर्ण अधिकार
मुख्य प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार

(iii) अन्तर्राज्यीय संचालन के लिए कर

विभागाध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
मुख्य प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार

(iv) किसी भी अधिकृत अधिकारी को किसी भी प्रकार के अग्रिम कर का भुगतान

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सलाह पर सम्पूर्ण अधिकार

(v) सरकार द्वारा निर्धारित पथ कर, अनुज्ञा पत्र, शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान (नदीनीकरण)

विभागाध्यक्ष (यातायात)	सम्पूर्ण अधिकार
मुख्य प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार

(vi) "सरकार द्वारा निर्धारित भवन एवं भूमि कर, जी.एस.टी. तथा अन्य करों का भुगतान"

वित्तीय सलाहकार	सम्पूर्ण अधिकार
-----------------	-----------------

4. बजट प्रावधान के अन्तर्गत भवनों के रख-रखाव, लघु मरम्मत पर खर्चा

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष (निर्माण)	2 लाख रू. प्रत्येक मामले में
महा प्रबन्धक	—
मुख्य उत्पा.प्रबन्धक	15,000 रू. प्रत्येक मामले में, 50,000 रू. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	15,000 रू. प्रत्येक मामले में, 50,000 रू. वार्षिक
कार्य. प्रबन्धक (निर्माण) अधिशाषी अभियंता से नीचे का नहीं	50,000 रू. प्रत्येक मामले में

5. लेखन सामग्री, वर्दी तथा अन्य सामान का क्रय

(i) कपड़े तथा वर्दी एवं पोशाक हेतु अन्य सामग्री का क्रय व सिलाई

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार

(ii) मापदण्डों (नोम्स) में परिवर्तन

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार

(iii) लेखन सामग्री का क्रय

अ. प्रपत्रों, टिकिट, सूचनाओं एवं वार्षिक प्रतिवेदनों इत्यादि की छपाई हेतु बड़ी मात्रा में कागज का क्रय

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष (स्टे. भण्डार)	30,000 रु. प्रत्येक मामले में, दर अनुबन्ध के अन्तर्गत सम्पूर्ण अधिकार

ब. स्टेशनरी सामग्री क्रय की स्वीकृति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष (स्टे. भण्डार)	1,00,000 रु. प्रत्येक मामले में, 500,000 रु. वार्षिक
महा प्रबन्धक (प्रभारी स्टे. स्टोर)	—
महा प्रबन्धक (क्रय-भंडार)	3,000 रु. प्रत्येक मामले में, 50,000 रु. वार्षिक
मु. उत्पा. प्रबन्धक	3,000 रु. प्रत्येक मामले में, 30,000 रु. वार्षिक स्टेशनरी हेतु, स्टे. स्टोर मुख्यालय जयपुर से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (NAC) प्राप्त करने के पश्चात तथा 40,000 रु. वार्षिक फोटो स्टेट हेतु
मुख्य प्रबन्धक	3,000 रु. प्रत्येक मामले में, 30,000 रु. वार्षिक स्टेशनरी हेतु, स्टे. स्टोर मुख्यालय जयपुर से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (NAC) प्राप्त करने के पश्चात तथा 40,000 रु. वार्षिक फोटो स्टेट हेतु

(iv) मुद्रण एवं आवरण (बाइण्डिंग) हेतु खर्च:-

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष (स्टेशनरी भंडार)	50,000 रु. प्रत्येक मामले में, 500,000 रु. वार्षिक दर अनुबन्ध के अन्तर्गत सम्पूर्ण अधिकार
महा प्रबन्धक (वित्त / प्रभारी प्रिंटिंग प्रेस)	—
मु. उत्पादन प्रबन्धक	3,000 रु. प्रत्येक मामले में, 30,000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	3,000 रु. प्रत्येक मामले में, 30,000 रु. वार्षिक

## (V) पुस्तकें, नियत अवधि पर निकलने वाली पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का क्रय:-

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	5,000 रु. वार्षिक
महा प्रबन्धक	5,000 रु. वार्षिक
मु. उत्पादन प्रबंधक	2,000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	2,000 रु. वार्षिक

## 6. निविदाओं इत्यादि के मामले में उचित एवं लिखित प्रमाणों के आधार पर अनुबन्ध तथा आपूर्ति के समय वृद्धि की अनुमति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	30 दिवस
महा प्रबन्धक, कय / भण्डार	30 दिवस
मु. उत्पादन प्रबंधक	15 दिवस
मुख्य प्रबन्धक	—

## 7. विधिक शुल्क, जुर्माना, न्यायालय निर्णय के अन्तर्गत भुगतान इत्यादि की स्वीकृति

## (i) एमएसीटी न्यायालय के पारित दावों एवं न्यायालयों द्वारा पारित जुर्माना

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	20,000 रु. प्रत्येक मामले में
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबंधक	—
मुख्य प्रबन्धक	10,000 रु. प्रत्येक मामले में परन्तु स्वीकृत अधिकारी से पुनर्भुगतान प्राप्त करने की अभिशंखा पर

## (ii) दोष रहित जिम्मेदारी के विरुद्ध धारा 92ए/140 की सीमा तक एमएसीटी दावों के पुनर्भरण की स्वीकृति

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
कार्यकारी निदेशक (विधि)	महाप्रबन्धक (वित्त) की सहमति से सम्पूर्ण अधिकार

## (iii) दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावों, दीवानी तथा श्रम न्यायालयों में लम्बित मामलों में समझौता करने की अनुमति

अध्यक्ष	वित्तीय सलाहकार की सहमति से 10 लाख रु0 तक प्रत्येक मामले में
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सहमति से 6 लाख रु0 तक प्रत्येक मामले में
कार्यकारी निदेशक (विधि)	वित्तीय सलाहकार की सहमति से 3 लाख रु0 तक प्रत्येक मामले में
	10 लाख रु0 से अधिक के प्रत्येक मामले में निगम मंडल की अनुमति लेना आवश्यक होगा ।

## (iv) आपराधिक, दीवानी एवं अन्य मामलों में विधि शुल्क का भुगतान

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सहमति से सम्पूर्ण अधिकार

## (v) सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में उपस्थित होने पर वरिष्ठ सलाहकार/अधिवक्ता को विधि शुल्क के भुगतान की स्वीकृति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार

(vi) कामगार हर्जाना आयुक्त द्वारा कामगार हर्जाना अधिनियम 1923 की अनुसूची IV में निर्धारित श्रेणी की अनुरूपता में पारित किये गये निर्णय के आधार पर हर्जाने की स्वीकृति  
अ. मृत्यु के मामले में

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार (विशेष- मामला निगम मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा)
विभागाध्यक्ष	—

## ब. स्थायी या सम्पूर्ण अयोग्यता के मामले में

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

## स. मजदूरी भुगतान अधिकारी के निर्णय जो कि अपील किये जाने योग्य नहीं है, का क्रियान्वयन

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
विभागाध्यक्ष (प्रशा.)	वित्तीय सलाहकार की सहमति से सम्पूर्ण अधिकार
महाप्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबन्धक	—

## (vii) आपराधिक, दीवानी एवं अन्य मामलों में विविध खर्चों (अधिवक्ता की फीस के अलावा) का भुगतान

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सलाह पर सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	20,000 रु. तक प्रत्येक मामले में
मुख्य प्रबन्धक	10,000 रु. तक प्रत्येक मामले में

## 8. अग्रिमों की स्वीकृति

## (i) अधीनस्थ अधिकारियों को स्थायी अग्रिम

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
वित्तीय सलाहकार	10,000 रु. तक
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबन्धक	—



## (ii) कानूनी दावे जिनमें निगम एक पक्ष हो

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	10,000 रु. तक
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबंधक	3,000 रु. तक प्रत्येक मामले में
मुख्य प्रबन्धक	3,000 रु. तक प्रत्येक मामले में

## (iii) मेले, सेमिनारों, बैठकों, आयोजनों तथा अन्य कार्यक्रम जो कि निगम द्वारा आयोजित किये जावें

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	25,000 रु. प्रत्येक मामले में
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबंधक	10,000 रु. तक प्रत्येक मामले में
मुख्य प्रबन्धक	10,000 रु. तक प्रत्येक मामले में

## (iv) यात्रा, दौरे पर पेट्रोल, डीजल तथा वाहन की मरम्मत के लिए—

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
विभागाध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
महाप्रबन्धक/ समप्र	10,000 रु. तक
कार्य प्रबंधक (चैकिंग)	5,000 रु. तक
मु. उत्पा. प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबंधक	5,000 रु. तक

## (v) अग्रिम कर का भुगतान

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महाप्रबन्धक	—
मु. उत्पा. प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबंधक	—

## (vi) दर अनुबंधों जिनमें अग्रिम भुगतान की शर्त निहित हो, के मामलों में अग्रिम

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सलाह से सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	1 लाख रु. प्रत्येक मामले में प्रेषण के प्रमाण के आधार पर वि. सलाहकार की सलाह से
महाप्रबन्धक (भण्डार/कय)	1 लाख रु. प्रत्येक मामले में प्रेषण के प्रमाण के आधार पर वि. सलाहकार की सलाह से

## (vii) यात्रा अग्रिम स्वीकृति

	यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत
--	---------------------------------

9. वाहनों, औजारों, कलपुर्जों, यंत्रों, अन्य सामानों तथा दस्तावेजों का निस्तारण:-

(i) निर्धारित पद्धति/दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यालय दस्तावेजों का निस्तारण

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार
मुख्य प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार

(ii) पुराने तथा अप्रचलित टिकटों तथा टिकिट किताबें

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	—

(iii) वाहनों को नकारा घोषित किया जाना

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	निम्न शर्तों के अधीन सम्पूर्ण अधिकार:- 1. निगम द्वारा वाहनों के नकारा घोषित करने हेतु निर्धारित की गई अवधि को पूर्ण करने पर 2. वाहनों को नकारा घोषित करने से पूर्व इस हेतु समय-समय पर गठित कमेटी द्वारा वाहन का निरीक्षण एवं प्रमाणित करने पर

(iv) नकारा भंडार सामग्री, टायर-ट्यूब्स, फर्नीचर-फिक्चर, कार्यालय तथा विद्युत उपकरणों इत्यादि का निस्तारण के लिए विक्रय दर (आफसेट प्राईज) का निर्धारण एवं दर अनुमोदन

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महाप्रबन्धक	—

10. प्राप्ति तथा जमा को लौटाने की स्वीकृति

(i) निगम की आय या प्राप्ति

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सलाह से सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

(ii) अनुबन्ध के अन्तर्गत बिड प्रतिभूति एवं कार्य संपादन प्रतिभूति

	RTPP नियमों के अनुरूप अनुबंध/बिड आमंत्रित करने वाले सक्षम अधिकारी को सम्पूर्ण अधिकार
--	--

## (iii) चार्टर्ड बसों के लिए

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार

## (iv) अन्य प्राप्तियाँ

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की राय पर सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबन्धक	1000 रु. प्रत्येक मामले में

## (v) प्रचलित नियमों तथा निर्देशों के अनुसार वास्तविकता तथा लिखित कारणों पर व्यक्तिशः यान्त्री का किराया लौटाना

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
मुख्य प्रबन्धक	सम्पूर्ण अधिकार

## 11. घाटे की कमी इत्यादि को अपलिखित करना

## (i) रोकड हानि, भंडार की भौतिक कमी, राजस्व की हानि अटल ऋणों तथा अंकेक्षण वसूलियाँ

अध्यक्ष	15,000 रु. चोरी या लापरवाही के प्रत्येक मामले में— 75,000 रु. अन्य मामलों में
प्रबन्ध निदेशक	15,000 रु. चोरी या लापरवाही के प्रत्येक मामले में— 75,000 रु. अन्य मामलों में
विभागाध्यक्ष (वित्तीय सलाहकार)	5,000 रु. प्रत्येक मामले में
महा प्रबन्धक	5,000 रु. प्रत्येक मामले में
मु. उत्पादन प्रबन्धक	4,000 रु. प्रत्येक मामले में
मुख्य प्रबन्धक	4,000 रु. प्रत्येक मामले में

## (ii) दूषण एवं अप्रचलन के कारण हानि

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सलाह से सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

(iii) प्रबन्ध या घटत (छीजत) के कारण पेट्रोल, डीजल, आयल तथा लुब्रिकेंट का नुकसान

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सलाह से पूर्ण राशि के 2 प्रतिशत तक
विभागाध्यक्ष	वित्तीय सलाहकार की सलाह से पूर्ण राशि के 1 प्रतिशत तक
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबन्धक	—
मुख्य प्रबन्धक	—

12. कल्याणकारी व्यय

(i) अपने दिमाग की समर्थता, साहस तथा कुशलता से असाधारण परिस्थितियों में कार्य करने वाले या निगम की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी स्वरूप आदर्श (दृष्टांत योग्य) सेवा करने वाले या तर्क विचार योग्य बचत करने या घाटे में कमी करने वाले व्यक्तियों को पारितोषिक (प्रतिफल) स्वीकृत किया जाना:-

अ. निगम कर्मचारियों को

अध्यक्ष	10,000 रु. प्रत्येक मामले में
प्रबन्ध निदेशक	10,000 रु. प्रत्येक मामले में
विभागाध्यक्ष	—
मुख्य प्रबन्धक	—

ब. अन्य व्यक्तियों को

अध्यक्ष	5,000 रु. प्रत्येक मामले में
प्रबन्ध निदेशक	5,000 रु. प्रत्येक मामले में
विभागाध्यक्ष	—
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबन्धक	—

(ii) राजकीय/अनुमोदित अस्पतालों से चिकित्सा उपचार करवाने पर अग्रिम प्रदान करना तथा व्यय स्वीकृत करना :-

अ. चिकित्सा मण्डल/प्राचार्य मेडिकल कॉलेज द्वारा सिफारिश करने पर/अनुमोदित अस्पताल के अधीक्षक/मुख्य द्वारा अनुमानित व्यय की सिफारिश करने पर

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

ब. आपातकालीन तथा अति आवश्यक मामले जो कि चिकित्सा नियमों के अन्तर्गत नहीं आते

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

## 13. किराया भाड़ा शुल्क:-

(i) किराये पर ली गई भूमि एवं भवन किराये की स्वीकृति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	-
मुख्य प्रबन्धक	5,000रु. प्रतिमाह

(ii) टैक्सी इत्यादि

अध्यक्ष	-
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	-
मुख्य प्रबन्धक	-

(iii) मेलों, आयोजनों, विशेष संचालनों तथा निगम के कारोबार हेतु टेन्ट फर्नीचर, कार्यालय फर्नीचर, बिजली के सामान इत्यादि का किराया

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	25,000 रु. प्रत्येक मामलों में
महा प्रबन्धक	-
मु. उत्पा. प्रबन्धक	-
मुख्य प्रबन्धक	10,000 रु. प्रतिदिन 20 बसों से ज्यादा के संचालन पर 12,000 रु. प्रतिदिन 30 बसों से ज्यादा के संचालन पर

## 14. मेले/आयोजनों/मनोरंजन इत्यादि के लिए अन्य अनिश्चित खर्च

(i) अतिथियों तथा आगन्तुकों का आतिथ्य खर्च:-

अध्यक्ष	10,000 रु. एक माह में, 70,000रु. वार्षिक
प्रबन्ध निदेशक	10,000 रु. एक माह में, 70,000 रु. वार्षिक
वित्तीय सलाहकार	1,500 रु. एक माह में, 12,000 रु. वार्षिक
विभागाध्यक्ष	1,500 रु. एक माह में, 12,000 रु. वार्षिक
महा प्रबन्धक/ समप्र	700 रु. एक माह में, 5000 रु. वार्षिक
उप महा प्रबन्धक/सचिव	700 रु. एक माह में, 5000 रु. वार्षिक
कार्यकारी प्रबन्धक (निर्माण)	700 रु. एक माह में, 5000 रु. वार्षिक
मु. उत्पादन प्रबन्धक	700 रु. एक माह में, 5000 रु. वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	700 रु. एक माह में, 5000 रु. वार्षिक
विशेष विवरण	अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी - 250 रु. एक माह में, 2,500 रु. वार्षिक

(ii) **कार्यक्रमों, सम्मेलनों, आयोजनों, प्रशिक्षणों तथा बैठकों पर व्यय**

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	10,000 रु० से प्रत्येक मामले में, 20,000 रु० वार्षिक
मु. उत्पादन प्रबन्धक	1000 रु० से प्रत्येक मामले में, 5,000 रु० वार्षिक
मु. निष्पादन अधिकारी, के.का. अजमेर	1,000 रु० प्रति खुली नीलामी हेतु
मुख्य प्रबन्धक	1000 रु० से प्रत्येक मामले में, 5,000 रु० वार्षिक

(iii) **कार्यालय दूरभाष पर व्यय**

	नियंत्रक अधिकारी जिसके अधीनस्थ ये सुविधाएँ सक्षम अनुमति के उपरान्त स्थापित हैं, को सम्पूर्ण अधिकार
--	--

(iv) **पानी एवं बिजली शुल्क**

	इकाई अधिकारी (प्रभारी) को सम्पूर्ण अधिकार
--	---

(v) **विज्ञापन के प्रकाशन की स्वीकृति**अ. **दृश्य विज्ञापन के लिए**

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

ब. **वर्गीकृत विज्ञापन के लिए**

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	—
विभागाध्यक्ष (प्रशा.)	निगम द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार सम्पूर्ण अधिकार

15. **यात्री सुविधाएं**(i) **मार्गों पर जहाँ संभव हो, रेलवे आउट एजेन्सी प्रारम्भ किया जाना**

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

(ii) **छात्रों के समूह तथा अन्य व्यक्तियों के ऐसे समूह जो कि विशेष ध्यान रखने के योग्य हों, घटी दरों की स्वीकृति**

अध्यक्ष	किराये का 25 प्रतिशत तक
प्रबन्ध निदेशक	किराये का 25 प्रतिशत तक
विभागाध्यक्ष	—

## 16. विविध

- (i) निगम कर्मचारियों के कालातीत, व्यक्तिगत दावे जो कि 6 वर्ष से ज्यादा पुराने हों तथा निजी पक्षों के आकस्मिक दावे जो कि 3 वर्ष से ज्यादा पुराने हों, की स्वीकृति

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	वित्तीय सलाहकार की सलाह पर सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

- (ii) कोषों (पूँजीगत व्यवहार) को खर्च के एक मद से दूसरे मद में पुनः बदलने (स्थानान्तरण) की स्वीकृति

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार (निगम मण्डल की आगामी बैठक में सूचित किया जावेगा)
प्रबन्ध निदेशक	—
विभागाध्यक्ष	—

- (iii) निगम खातों के चेकों पर हस्ताक्षर

अ. सक्षम अधिकारी से अनुमोदन पर मुख्य खाते से भुगतान

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक तथा वित्तीय सलाहकार	10 लाख रु. से अधिक
वित्तीय सलाहकार	2 लाख रु. से ज्यादा तथा 10 लाख रु. तक (कोई भुगतान निहित न होकर केवल निगम के अंतर बैंकिंग स्थानान्तरण के मामले में किसी भी सीमा तक )
उप महा प्रबन्धक (भुग.)	2 लाख रु. तक
महा प्रबन्धक (वित्त)	—

ब. भण्डार विभाग का खाता

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक वित्तीय सलाहकार महा प्रबन्धक (कय-भण्डार)	10 लाख रु. से अधिक
वित्तीय सलाहकार महा प्रबन्धक (कय-भण्डार)	10 लाख रु. तक
महा प्रबन्धक (कय-भण्डार) लेखाधिकारी (भण्डार/भुग.)	5 लाख रु. तक

## (iv) छुट्टियों की घोषणा या अनुमोदन का अधिकार

अ. कार्यालय तथा कार्यशालाओं के लिए छुट्टियों की सूची का अनुमोदन

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

ब. आदेशों से प्रेरित या राज्य सरकार के अनुरोध, जिलाधीश द्वारा घोषित स्थानीय अवकाशों तथा निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अन्तर्गत घोषित छुट्टियों के अतिरिक्त एक दिन की छुट्टी की घोषणा

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	—

## (v) सलाहकारों की सेवाये लेने हेतु

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार

17. निगम के नियमित कार्यों के लिए अन्य विविध व्यय (जो ऊपर किसी अन्य बिन्दु में सम्मिलित नहीं हैं)

अध्यक्ष	सम्पूर्ण अधिकार
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार
विभागाध्यक्ष	50,000 रु०
महा प्रबन्धक	—
मु. उत्पादन प्रबन्धक	5,000 रु० प्रत्येक मामले में, 30,000 रु० वार्षिक
मुख्य प्रबन्धक	5,000 रु० प्रत्येक मामले में, 30,000 रु० वार्षिक

## नोट:-

1. निगम में 25 करोड़ रुपये या अधिक राशि के उपापन के लिये निगम अध्यक्ष तथा 25 करोड़ रुपये से कम राशि के उपापन के लिए प्रबन्ध निदेशक सक्षम अधिकारी होंगे।
2. वित्तीय शक्तियों का उपयोग पथ परिवहन निगम अधिनियम तथा प्रचलित नियमों, विनियमों, निगम द्वारा दिये गये निर्देशों तथा उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा तक ही किया जावेगा।
3. अधीनस्थ अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग उनसे उच्चाधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है।
4. आपात्कालीन परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा निगम के किसी भी अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है; जिसकी सूचना निगम मण्डल की आगामी बैठक में देनी होगी।
5. वित्तीय शक्तियों की सीमा में सभी उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन किये जाएंगे।